राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2013

संदीपनी भवन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी, सिविल लाइन्स, अजमेर–305001

Website : www.examrtet.rajasthan.gov.in | **विज्ञप्ति सं. 02/2013** | Email: rtetbser@gmail.com

फोन नं. (0145) 2630436, 2630437 फैक्स 2630438, 2630439 हैल्पलाइन : 08432259100, 08432265100, 08432256400, 08432256009, 08432253500

राज्य सरकार के आदेशानुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थायी नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। पात्रता परीक्षा 29.12.2013 को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। जिसकी आवेदन प्रक्रिया/पात्रता मापदण्ड, ऑनलाईन आवेदन के चरण निम्नानुसार है :–

कार्यक्रम

ई–मित्र कियोस्क/जनसुविधा केन्द्र पर शुल्क जमा कराकर टोकन प्राप्त करने की तिथि	:	**दिनांक 24 अक्टूबर से दिनांक 17 नवम्बर 2013**
वेबसाईट पर टोकन नम्बर अंकित करके ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि	:	**दिनांक 24 अक्टूबर से दिनांक 18 नवम्बर 2013**
वेबसाईट से प्रवेश–पत्र डाउनलोड करना	:	**दिनांक 21 दिसम्बर 2013 से**
परीक्षा तिथि	:	**दिनांक 29 दिसम्बर 2013 (रविवार)**
समय	:	**स्तर– प्रथम :– प्रातः 11.00 बजे से 01.30 बजे तक** **स्तर– द्वितीय :– अपरान्ह् 02.00 बजे से 04.30 बजे तक**

इस परीक्षा के स्तर प्रथम एवं द्वितीय का पाठ्यक्रम वेबसाईट www.examrtet.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

विशेष सूचना

आर.टी.ई.टी. 2013 की परीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. संख्या 23508–23513/2013 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम विकास कुमार अग्रवाल व अन्य के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

1- ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया

1. **प्रक्रिया** :– राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–2013 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन वेबसाईट **www.examrtet.rajasthan.gov.in** पर लिये जायेंगे, जिन्हे राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी को ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर परीक्षा शुल्क + रूपये 30/– (रूपये 20/– आवेदन पत्र भरने हेतु एवं रूपये 10/– परीक्षा शुल्क जमा कराने का सेवा शुल्क) जमा करवाना होगा। कियोस्क पर आवेदन पत्र भरवाने पर आवेदक को रूपये 20/– की रसीद पृथक से कटवानी होगी।

   आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना चाहता है, तो वह ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर परीक्षा शुल्क + रूपये 10/– (परीक्षा शुल्क जमा कराने का सेवा शुल्क) जमा करा कर **www.examrtet.rajasthan.gov.in** पर स्वयं आवेदन भर सकता है। ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है। ऑनलाईन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन कार्यालय द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा।

2. परीक्षा शुल्क :–
   आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क/ जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से जमा करायेंगे।
   - स्तर–**I** अथवा स्तर–**II** (केवल एक परीक्षा) हेतु — रूपये 400/–
   - स्तर–**I** एवं स्तर–**II** (दोनों परीक्षाओं) हेतु — रूपये 600/–

   ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 18 नवम्बर 2013 है परन्तु अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक 17 नवम्बर 2013 तक ही परीक्षा शुल्क जमा करवा सकेंगे। दिनांक 17 नवम्बर 2013 के बाद शुल्क जमा कराने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

3. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में जो भाषा एवं विषय का चयन किया गया है, उसमें बाद में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पूरी सावधानी के साथ भरें।

नोटः– ऑनलाईन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन–पत्र का प्रारूप वेबसाईट www.examrtet.rajasthan.gov.in से डाऊनलोड कर लें और उसे ऑनलाईन आवेदन से पूर्व हाथ से भरे लें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र अन्तिम रूप में भरने से पूर्व उसकी प्रविष्ठियों का प्रिन्टआउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्ठियां सही–सही भरी गई हैं। प्रविष्ठियों के सही होने के सम्बन्ध में साइबर–कैफे, कियोस्क या कम्प्यूटर एजेन्सी पर निर्भर नहीं रहें।

4. मूल आवेदन पत्र मय सत्यापित प्रतियां कार्यालय समन्वयक, **R.T.E.T-** 2013 द्वारा मंगवाने की प्रक्रियाः– अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् मूल आवेदन पत्र, घोषणा–पत्र तथा शपथ–पत्र तैयार करवाकर अपने पास सुरक्षित रखें। R.T.E.T- 2013 परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा अपने मूल आवेदन–पत्र, घोषणा–पत्र तथा शपथ–पत्र एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां R.T.E.T. कार्यालय द्वारा बाद में घोषित विशेष चिन्हित नोडल केन्द्रों पर जमा करानी होगी। इस सम्बन्ध में सूचना समाचार–पत्रों के माध्यम से यथासमय प्रकाशित करवा दी जायेगी। आवेदन पत्र व अन्य दस्तावेज डाक द्वारा R.T.E.T. कार्यालय को नहीं भेजे जाऐं।

5. <u>परीक्षा आयोजन</u> : परीक्षा **29 दिसम्बर, 2013** को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर **स्तर–I** (कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक बनने हेतु) **पूर्वान्ह 11.00–01.30 बजे** तक एवं **स्तर–II** (कक्षा 6 से 8वीं तक के शिक्षक बनने हेतु) **अपरान्ह 2.00–04.30 बजे** तक आयोजित होगी।

- **परीक्षा प्रवेश** : आर.टी.ई.टी. कार्यालय द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को वेबसाईट **www.examrtet.rajasthan.gov.in** के माध्यम से ही ऑनलाईन डाऊनलोड करने हेतु प्रवेश पत्र जारी किये जाऐंगे। आर.टी.ई.टी. कार्यालय द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाऐगा। वेबसाईट पर प्रवेश पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाऐगी। **अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें।** उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश पत्र संबंधी सूचना अभ्यर्थी के ईमेल आई डी (email ID) अथवा मोबाईल नम्बर पर संदेश (SMS) से भेजी जाएगी।
- **परीक्षा केन्द्र पर** परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घंटा पूर्व आवश्यक रूप से पहुंचकर स्थान ग्रहण करें।
- **परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी Question Booklet एवं OMR Sheet प्राप्त कर अवलोकन पश्चात् यह सुनिश्चित कर लें कि उसके सभी पृष्ठ पूर्ण हैं, कोई भी पृष्ठ क्षतिग्रस्त नहीं है तथा प्रश्नों का क्रमांक सही क्रम में है। क्षतिग्रस्त/त्रुटिपूर्ण Question Booklet तथा O.M.R.Sheets (2 प्रति) को परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट तक बदलवा लें, इसके पश्चात् कोई बदलाव नहीं होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।**

6. <u>ओ.एम.आर शीटस् (उत्तर पत्रक) की दो प्रतियां की व्यवस्था</u> :– ओ.एम.आर शीट (उत्तर पत्रक) दो प्रतियों में होंगी जो एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होंगी। इसमें ऊपर वाली प्रति पर ''Original Copy'' तथा इसके नीचे वाली प्रति पर ''Candidate Copy'' मुद्रित होगा। इन दोनों प्रतियों के बीच यद्यपि कोई कॉर्बन पेपर नहीं होगा किन्तु इनके बीच रासायनिक पदार्थ होने के कारण अभ्यर्थी मूल प्रति में जो कुछ भी अंकित करेगा वह उसके नीचे अभ्यर्थी प्रति (Candidate Copy) में भी स्वतः अंकित हो जाएगा। परीक्षा समाप्ति उपरान्त दोनों प्रतियों को वीक्षक (Invigilator) की निगरानी में छिद्रित रेखा से मोड़कर अलग किया जाएगा। अभ्यर्थी प्रति को अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा और मूल प्रति (Original Copy) वीक्षक (Invigilator) को सुपुर्द करनी है।

<u>विशेष सावधानी :– अभ्यर्थी उत्तर देते समय ओ.एम.आर.शीट् की मूल प्रति तथा अभ्यर्थी प्रति को अलग–अलग करने की कोशिश नहीं करें।</u>

- **परीक्षार्थी यह ध्यान रखें कि जो Question Booklet (प्रश्न–पत्र पुस्तिका) उन्हें दी गई है, उसका एल्फाबेट कोड जैसेः– P,Q,R या S जो भी दिया गया है, उसका अंकन OMR Sheet के कॉलम –5 में आवश्यक रूप से किया जाना है, यथा प्रश्न पत्र पुस्तिका का कोड यदि P है तो OMR Sheet में निर्धारित स्थान पर P अंकित करते हुए उसके सामने अंकित गोले को बॉल पैन से गहरा करना है। परीक्षार्थी को स्पष्ट रहे कि यदि OMR Sheet में प्रश्न पत्र पुस्तिका के अल्फाबेट कोड एवं संबंधित गोले में इसका अंकन नहीं किया जाता है तो परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी परीक्षार्थी की होगी। इसी प्रकार यदि गलत कोड का अंकन किया जाता है तो परीक्षा उपरान्त कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।**
- स्तर–I परीक्षा हेतु OMR Sheet **पाँच खण्डों** में विभक्त होगी। द्वितीय एवं तृतीय खण्ड भाषा के वैकल्पिक खण्ड होंगे। प्रत्येक खण्ड में **30 प्रश्न** होंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का एक अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के चार विकल्प A, B, C, D के रूप में होंगे, जिनमें से एक सही उत्तर का चयन करना है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। **परीक्षार्थी सम्बन्धित प्रश्न के सही उत्तर का चयन कर OMR Sheet में सही उत्तर वाले गोले को काले/नीले बाल पेन से सावधानी पूर्वक पूरा गहरा करें।** एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक ही गोले को गहरा करें। एक से अधिक गोले, अन्यत्र या पास में बनाये गये गोले को गहरा करने पर उत्तर गलत माना जावेगा। परीक्षार्थी भाषा के खण्ड को चयन करते समय ध्यान दें कि वे उसी भाषा के प्रश्न हल करें, जिस भाषा को उन्होंने आवेदन पत्र भरते समय अंकित किया है। आवेदन पत्र में भरे हुए भाषा विकल्प से अलग खण्ड को हल करने पर उस खण्ड के हल किये गये प्रश्नों को गलत माना जायेगा और परीक्षा उपरान्त इसमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा।
- स्तर–II परीक्षा हेतु OMR Sheet चार खण्डों में विभक्त होगी। कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का एक अंक निर्धारित है। प्रथम खण्ड में 30 प्रश्न होंगे जो अनिवार्य रूप से करने हैं किन्तु द्वितीय व तृतीय खण्ड भाषा के वैकल्पिक खण्ड होंगे जिसमें प्रत्येक में 30 प्रश्न होंगे। चतुर्थ खण्ड, जो कि वैकल्पिक खण्ड है में खण्ड **IV**(अ) गणित एवं विज्ञान के शिक्षकों के लिए तथा खण्ड **IV**(ब) सामाजिक अध्ययन शिक्षकों के लिए है। अन्य विषय के शिक्षक के लिए परीक्षार्थी इन दोनों खण्डों में से कोई एक का चयन कर सकते हैं। परीक्षार्थी खण्ड **IV**(अ) या खण्ड **IV**(ब) में से किसी एक का ही चयन करें। परीक्षार्थियों को इस खण्ड में 60 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के चार विकल्प A, B, C, D के रूप में होंगे, जिनमें से एक सही उत्तर का चयन करना है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। **परीक्षार्थी सम्बन्धित प्रश्न के सही उत्तर का चयन कर OMR Sheet में सही उत्तर वाले गोले को काले/नीले बाल पेन से सावधानी पूर्वक पूरा गहरा करें। एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक ही गोले को गहरा करें।** एक से अधिक गोले, अन्यत्र या पास में बनाये गये गोले को गहरा करने पर उत्तर गलत माना जाऐगा। परीक्षार्थी भाषा के खण्ड को चयन करते समय ध्यान दें कि वे उसी भाषा के प्रश्न हल करें, जिस भाषा को उन्होंने आवेदन पत्र भरते समय अंकित किया है। आवेदन पत्र में भरे हुए भाषा विकल्प से अलग खण्ड को हल करने पर उस खण्ड के हल किये गये प्रश्नों को गलत माना जायेगा और परीक्षा उपरान्त इसमें कोई सुधार नहीं किया जाऐगा।

- ऐसे परीक्षार्थी जिन्होनें **स्तर–I** व **स्तर–II** दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है उन्हें दोनों परीक्षाओं के निर्धारित समय पर परीक्षा देनी होगी।
- OMR Sheet पर कहीं भी रफ कार्य तथा कोई चिन्ह अंकित नहीं करें।
- किसी भी अभ्यर्थी को सम्बन्धित परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- <u>प्रश्नपत्र सम्बन्धी सूचना</u> : समस्त प्रश्न वस्तुनिष्ठ – बहु विकल्प (Objective Questions - Muiltiple Choice Questions) होंगे।
- स्तर– I में 150 प्रश्नों का प्रश्नपत्र पाँच खण्डों – I, II, III, IV, V में विभाजित है, तथा सभी खण्ड हल करना अनिवार्य है।
- इस प्रश्न–पत्र के खण्ड II में अंकित भाषा सूची में से भाषा–प्रथम के रूप में किसी एक भाषा का चयन किया जाना है। यह भाषा Medium of Instruction की भाषा होगी। इस प्रश्न–पत्र के खण्ड III में अंकित भाषा सूची में से भाषा–द्वितीय के रूप में किसी एक भाषा का चयन किया जाना है, किन्तु भाषा II के रूप में चयन की गई भाषा, भाषा–प्रथम से भिन्न होनी आवश्यक है।
- स्तर– II में प्रश्न–पत्र चार खण्डों में विभाजित हैं जिसमें I, II, III, अनिवार्य हैं। इस प्रश्न–पत्र के खण्ड II में अंकित भाषा सूची में से भाषा–प्रथम के रूप में किसी एक भाषा का चयन किया जाना है। यह भाषा Medium of Instruction की भाषा होगी। इस प्रश्न–पत्र के खण्ड III में अंकित भाषा सूची में से भाषा–द्वितीय के रूप में किसी एक भाषा का चयन किया जाना है, किन्तु भाषा II के रूप में चयन की गई भाषा, भाषा–प्रथम से भिन्न होनी आवश्यक है। खण्ड **IV(अ)** गणित एवं विज्ञान विषय (गणित एवं विज्ञान शिक्षक हेतु) तथा खण्ड **IV(ब)** सामाजिक अध्ययन विषय (सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक हेतु) चयन कर सकते हैं। अन्य विषय के शिक्षक के लिए परीक्षार्थी खण्ड **IV(अ)** या खण्ड **IV(ब)** में से किसी एक खण्ड का चयन करें।
- परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थी अपनी प्रश्न पत्र पुस्तिका अपने साथ ले जा सकेंगे। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिये अभ्यर्थी को अपनी प्रश्न–पत्र पुस्तिका तथा ओ.एम.आर.शीट् (उत्तर पत्रक) की अभ्यर्थी प्रति अपने साथ ले जाने की सुविधा प्रदान की गई है।

<u>2-पात्रता मापदण्ड</u>

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2013 में बैठने के लिए निम्न व्यक्ति पात्र हैं :–

2.1 <u>कक्षा 1 से 5 तक (स्तर–प्रथम) के शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु न्यूनतम योग्यताएँ</u> :–

शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उप भाग (1) के 23वें भाग के अन्तर्गत निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 सपठित (29 जुलाई 2011) के संशोधित मापदण्डानुसार व मान.उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2013 में सम्मिलित होने हेतु योग्यताऐं एवं न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गो के लिए निम्नानुसार होंगे :––

न्यूनतम योग्यताएँ (Minimum Qualifications)
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्।
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known).
अथवा
न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and passed or appearing in final year of 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulation, 2002.
अथवा
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.) में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्।
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4-year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed).
अथवा
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्।
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 2-year Diploma in Education (Special Educaton).

अथवा
स्नातक एवं प्रारम्भिक शिक्षा में द्वि वर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो।) में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्।
Graduation and passed or appearing in final year of two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known).

2.2 कक्षा 6 से 8 तक (स्तर–द्वितीय) के शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु न्यूनतम योग्यताएँ :–

न्यूनतम योग्यताएँ (Minimum Qualifications)
स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्।
Graduation and passed or appearing in final of 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known).
अथवा
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.) में उत्तीर्ण या एक वर्षीय बी.एड कोर्स में अध्ययनरत्।
Graduation with at least 50% marks and passed or appearing in 1-year Bachelor in Education (B.Ed).
अथवा
न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.) में उत्तीर्ण या एक वर्षीय बी.एड कोर्स में अध्ययनरत्, जो इस संबंध में समय–समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो।
Graduation with at least 45% marks and passed or appearing in 1-year Bachelor in Education (B.Ed), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard.
अथवा
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.) में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्।
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed).
अथवा
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय स्नातक एड. या बी.ए.एड./बी.एससी.एड. में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत्।
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4-year B.A/B.Sc.Ed or B.A. Ed./B.Sc.Ed.
अथवा
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा) में उत्तीर्ण या एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा) कोर्स में अध्ययनरत्।
Graduation with at least 50% marks and passed or appearing in 1-year B.Ed. (Special Education).

नोट :– **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्यजन/विधवा/तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम उत्तीर्णांक में 5 प्रतिशत की छूट मान्य होगी।**

- अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम :– इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) द्वारा मान्यता–प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता–प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा।
- विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण–
  (क) वह व्यक्ति, जिसने डी.एड (विशेष शिक्षा) अथवा बी.एड (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त 6 महिने का विशेष कार्यक्रम पूरा करेगा।
- **किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत व्यक्तियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण (Clarifications regarding persons who are pursuing any of the teachers education courses) :–**
  राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च 2011 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार :– जो व्यक्ति NCTE & RCI द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में अध्ययनरत है एवं NCTE द्वारा जारी 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो RTET-2013 में बैठने के पात्र हैं, किन्तु उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में बैठने के लिये तभी पात्र होंगे जबकि उन्होंने उपरोक्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण कर लिया हो।
- **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ, जोधपुर द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2011 के क्रम में राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक F.7 (1) E.E./Plan-2011 दिनांक 17 जून 2011 में प्रदत्त निर्देशानुसार RTET-2013 के लिये आवेदन करने हेतु निम्नानुसार अभ्यर्थी भी पात्र होंगे :–**
  1. ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की **अधिसूचना दिनांक 27.09.2007** के जारी होने से पहले शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया था उन्हें स्नातक स्तर में या इसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की कोई बाध्यता नहीं है।

जम्मू एवं कश्मीर से उक्त अवधि से पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त होने की कोई बाध्यता नहीं है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी के लिये 5 प्रतिशत की छूट मान्य होगी।

2. ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की **अधिसूचना दिनांक 27.09.2007** के जारी होने के बाद तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की **अधिसूचना दिनांक 31.08.2009** जारी होने के बीच की अवधि में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया था, उनके लिये स्नातक स्तर पर कोर्स अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक होने की बाध्यता लागू होगी।

   जम्मू एवं कश्मीर से उक्त अवधि में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्त करने की अनिवार्यता उक्तानुसार ही होगी।

   अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी के लिये 5 प्रतिशत की छूट मान्य होगी।

3. ऐसे सभी अभ्यर्थी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की **अधिसूचना दिनांक 31.8.2009** जारी होने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है, उनके लिये स्नातक स्तर अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक की बाध्यता आवश्यक होगी।

   जम्मू एवं कश्मीर से उक्त तिथि के बाद शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्त करने की अनिवार्यता उक्तानुसार ही लागू होगी।

   अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी के लिये 5 प्रतिशत की छूट मान्य होगी।

- **NCTE की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 के अनुसार** :— भाषा के अध्यापक, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान आदि के अध्यापकों के सम्बन्ध में इस अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदण्ड लागू होंगे। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के सम्बन्ध में NCTE के **दिनांक 3 नवम्बर 2011** के रेग्युलेशन व समय—समय पर संशोधनों के अनुसार न्यूनतम योग्यता के मापदण्ड लागू होंगे। कला अध्यापक, क्राफ्ट शिक्षा, गृह विज्ञान, कार्य शिक्षा (Work Education) आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा एवं स्कूल प्रबन्धन द्वारा लागू किये गये न्यूतम पात्रता मापदण्ड लागू होंगे, जब तक कि ऐसे अध्यापकों के लिए NCTE द्वारा कोई न्यूनतम योग्ताऐं निर्धारित नहीं कर दी जाऐं।

विद्यार्थी मित्र, शिक्षाकर्मी, राजीव स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में कार्यरत पैरा—टीचर्स, मदरसा पैरा—टीचर्स के सम्बन्ध में यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 सपठित (29 जुलाई 2011) के संशोधित मापदण्डानुसार** में शिक्षक पात्रता परीक्षा में इन श्रेणियों के सम्बन्धित व्यक्तियों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है, अर्थात् इन श्रेणियों के सभी व्यक्तियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु *राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा* उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः ऐसे श्रेणी के व्यक्ति यदि उक्तानुसार पात्रता रखते हैं तो RTET-2013 में बैठने हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

❖ आर.टी.ई.टी. 2013 उत्तीर्णांक में छूट :—

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2013 में उत्तीर्ण होने के लिये न्यूनतम 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक (Minimum Passing Marks) अर्जित करने अनिवार्य है, परन्तु राज्य सरकार के निर्देशानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक में पात्रता के लिए छूट निम्नानुसार होगी :— **(माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. संख्या 23508—23513/2013 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम विकास कुमार अग्रवाल व अन्य के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी)**

(अ) 10 प्रतिशत छूट अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी के पुरूष/सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों/भूतपूर्व सैनिकों हेतु।

(ब) 15 प्रतिशत छूट अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी के महिला अभ्यर्थियों एवं विधवा/तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों हेतु।

(स) 20 प्रतिशत छूट सभी श्रेणी के विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों हेतु जो विशेष योग्यजन की परिभाषा में इस एक्ट के अन्तर्गत आते हैं। (Under Clasuse (1) of section 2 of the Persons with disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act. 1995)

(द) 24 प्रतिशत छूट अधिसूचित क्षेत्र (T.S.P.) के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु।

❖ आर.टी.ई.टी. प्रमाण—पत्र की वैद्यता :—

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थायी नोडल एजेन्सी प्रति वर्ष आर.टी.ई.टी. परीक्षा का आयोजन करेगी। इसकी मान्यता प्रमाण—पत्र जारी किए जाने की तिथि से सात वर्ष तक रहेगी। परीक्षार्थी यदि चाहे तो गत RTET-2011 एवं RTET-2012 में प्राप्तांक में सुधार (Improvement) हेतु पुनः RTET-2013 की परीक्षा दे सकता है। आर.टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण करने से ही किसी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में भर्ती/रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि आर.टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण करना भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड मात्र है।

- **आर.टी.ई.टी. में प्राप्त कुल अंकों के 20 प्रतिशत का लाभ नियुक्ति एजेन्सी द्वारा ली गई परीक्षा के अंक जोड़कर मेरिट का निर्धारण :–**

राज्य सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की अधिसूचना सं. एफ.4 (7) ए.एम./कल/लीगल/पी.आर./10/825/जयपुर दिनांक 11.05.2011 के अनुसार अध्यापक कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक की भर्ती के लिये **जिला स्थापना समिति** द्वारा ली गई लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांकों में आर.टी.ई.टी. में प्राप्त अंकों के 20 प्रतिशत अंक जोड़ते हुए योग्यता सूची तैयार की जावेगी।

ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत हैं उन्हें इस पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति इस कार्यालय में डाक से भिजवाने अथवा व्यक्तिशः प्रस्तुत करने पर ही आर.टी.ई.टी. परीक्षा–2013 में उत्तीर्ण होने पर इसका प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

ओ.एम.आर.शीट् (उत्तरपत्रक) की re-checking, re-assessment, re-evaluation or scrutiny के सम्बन्ध में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

III-कानूनी विवादों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण :–

1. सभी विवादों के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र केवल अजमेर होगा।
2. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की अधिकारिता सिर्फ समन्वयक, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, संदीपनी भवन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी, सिविल लाइन्स अजमेर – 305001 (राज.) की है।

महत्वपूर्ण सूचना

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, कानून के तहत एक अपराध है। तद्नुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2011 में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहायता करने वालों को 3 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर 2000/–रूपये तक जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों सजाएँ हो सकती हैं तथा उपरोक्त स्थिति में परीक्षार्थी को भविष्य में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु सदैव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की संरचना एवं विषयवस्तु
(Structure and Content of RTET-2013)

परीक्षा पाठ्यक्रम (विस्तृत पाठ्यक्रम कार्यालय की उक्त दोनों वेबसाईटस् पर देखें)

1. स्तर प्रथम – (कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक) अधिकतम अंक : 150 समय 2.30 घण्टा

स्तर प्रथम में निम्न खण्डानुसार प्रश्न होंगे :–

खण्ड– I	बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– II	भाषा–I – हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/सिन्धी/पंजाबी/गुजराती *(भाषा–I का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। इस भाग में वही भाषा होगी जो Medium of Instruction की भाषा है। जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया है।)*	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– III	भाषा–II – हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/सिन्धी/पंजाबी/गुजराती *(भाषा–II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया है। किन्तु यह भाषा – I से भिन्न होगी।)*	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– IV	गणित	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– V	पर्यावरण अध्ययन	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक

प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति :

1. "बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ" प्रश्न पत्र में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से सम्बन्धित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनसे अन्तर्क्रिया तथा अच्छे शिक्षक के गुण एवं विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे जायेंगे।
2. भाषा–I के प्रश्न पत्र में आवेदन भरते समय अंकित भाषा से सम्बन्धित निपुणता की जाँच हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे। जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है।
3. भाषा–II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है, किन्तु यह भाषा–I से भिन्न होगी। इस प्रश्न पत्र में भाषा–II की सामान्य समझ, सम्प्रेषण तथा उसकी बोधन क्षमता की परख हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे।
4. "गणित" तथा "पर्यावरण अध्ययन" विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता तथा विषय के अध्यापन कौशल से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।
5. बहु विकल्प प्रश्नों का मापदण्ड कक्षा I से V तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सैकण्डरी (कक्षा 10) तक का होगा।
6. प्रश्न–पत्र का भाषा माध्यम (भाषा विषयों को छोड़कर) हिन्दी एवं अंग्रेजी में द्विभाषीय (Bilingual) होगा।

2. स्तर द्वितीय – (कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक) अधिकतम अंक : 150 समय 2.30 घण्टा

स्तर द्वितीय में निम्न खण्डानुसार प्रश्न होंगे :–

खण्ड– I	बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– II	भाषा–I – हिन्दी / अंग्रेजी / संस्कृत / उर्दू / सिन्धी / पंजाबी / गुजराती *(भाषा–I का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। इस भाग में वही भाषा होगी जो Medium of Instruction की भाषा है। जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया है।)*	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– III	भाषा–II – हिन्दी / अंग्रेजी / संस्कृत / उर्दू / सिन्धी / पंजाबी / गुजराती *(भाषा–II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया है। किन्तु यह भाषा – I से भिन्न होगी।)*	30 बहु विकल्प प्रश्न	30 अंक
खण्ड– IV	(अ) गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हेतु – IV(अ) गणित एवं विज्ञान विषय या	60 बहु विकल्प प्रश्न	60 अंक
	(ब) सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हेतु – IV(ब) सामाजिक अध्ययन विषय या	60 बहु विकल्प प्रश्न	60 अंक
	(स) अन्य विषय के शिक्षक हेतु – IV(अ) अथवा IV(ब) में से कोई एक चुन सकता है	60 बहु विकल्प प्रश्न	60 अंक

प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति :

1. "बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ" प्रश्न पत्र में 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से सम्बन्धित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनसे अन्तर्क्रिया तथा अच्छे शिक्षक के गुण एवं विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे जायेंगे।
2. भाषा–I के प्रश्न पत्र में आवेदन पत्र भरते समय अंकित भाषा जिसे आवेदन पत्र में दर्शाया गया है, से सम्बन्धित निपुणता की जाँच हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे।
3. भाषा–II का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है, जिसे आवेदन पत्र में दर्शाया गया है। किन्तु यह भाषा–I से भिन्न होगी। इस प्रश्न पत्र में भाषा–II की सामान्य समझ, सम्प्रेषण तथा उसकी बोधन क्षमता की परख हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे।
4. "गणित एवं विज्ञान" तथा "सामाजिक अध्ययन" विषय के प्रश्न पत्रों में संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता तथा विषय के अध्यापन कौशल से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे।
5. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कक्षा 6 से 8 तक के "गणित एवं विज्ञान" विषय में समान अनुपात में (30 प्रश्न गणित विषय के एवं 30 प्रश्न विज्ञान विषय के) तथा "सामाजिक अध्ययन" के पाठ्यक्रमानुसार प्रश्न पूछे जायेंगे।
6. बहु विकल्प प्रश्नों का मापदण्ड कक्षा VI से VIII तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सैकण्डरी (कक्षा 12) तक का होगा।
7. प्रश्न–पत्र का भाषा माध्यम (भाषा विषयों को छोड़कर) हिन्दी एवं अंग्रेजी में द्विभाषीय (Bilingual) होगा।

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं .... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....(नाम) घोषणा करता / करती हूं कि :–

1. मैंने आर.टी.ई.टी. परीक्षा 2013 से संबंधित नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। जिनकी पालना करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
2. मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूँगा / कहूँगी।
3. मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नहीं किया है।
4. (अ) किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ आर.टी.ई.टी. परीक्षा 2013 कार्यालय में प्रतिवेदन भेजूंगा / भेजूंगी और 60 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात् ही न्यायालय से न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूंगा / करूंगी। किसी विधिक वाद की स्थिति में न्यायिक कार्य क्षेत्र केवल अजमेर स्थित न्यायालय का ही होना मुझे स्वीकार है।
   (ब) यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर समन्वयक कार्यालय के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर किया तो समन्वयक को समुचित मुआवजा देने को बाध्य होऊँगा / होऊँगी।
   (स) न्यायालय में दायर सभी विवादों के लिए न्यायिक अधिकार अजमेर शहर स्थित न्यायालय का ही होगा।
5. मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 सपठित (29 जुलाई 2011) के संशोधित मापदण्डानुसार, NCTE की Guidelines व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार परीक्षा की पात्रता रखता / रखती हूँ।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं है।
7. आवेदन पत्र मे कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पत्र / पात्रता नहीं रखने पर किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
8. **मैं स्वयं परीक्षा प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाईट www.examrtet.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करूंगा / करूंगी ।**
9. **मैं डाऊनलोड किया हुआ आवेदन–पत्र, घोषणा पत्र, शपथ–पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज स्वयं के पास सुरक्षित रखूंगा / रखूंगी, जिन्हें कार्यालय द्वारा मंगवाये जाने पर निर्देशानुसार जमा करा दूँगा / दूँगी।**
10. मेरे मूल दस्तावेजों का अन्तिम सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
11. मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि इस परीक्षा में निर्धारित पात्रता प्राप्त होने से ही मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
12. **मुझे यह जानकारी है कि मैं आर.टी.ई.टी. में पात्रता प्राप्त करने के बावजूद सम्बन्धित शिक्षक पाठ्यक्रम (बी.एस.टी.सी. / बी.एड. / समकक्ष पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण होने पर ही राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन हेतु पात्र माना जाऊँगा / जाऊँगी।**
13. मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस परीक्षा से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज मैं नियुक्ति के समय नियोक्ता संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा / दूँगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान :.. **नाम :**

दिनांक :.. **पता :**

फोन नम्बर मय कोड :..

मोबाईल नम्बर :.......................................

संलग्नकों की सूची

R.T.E.T-2013 परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपने मूल ऑनलाईन आवेदन–पत्र, घोषणा–पत्र तथा शपथ–पत्र एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां कार्यालय समन्वयक द्वारा बाद में घोषित विशेष चिन्हित नोडल केन्द्रों पर जमा करवाई जाऐंगी। अतः इस सम्बन्ध में सूचना समाचार–पत्रों के माध्यम से यथासमय प्रकाशित करवा दी जायेगी।

क्र.सं.	दस्तावेज/प्रमाण–पत्र का नाम	संलग्न सं.
1	मूल आवेदन–पत्र	
2	घोषणा–पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
3	शपथ–पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
4	सैकण्डरी / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
5	सीनियर सैकण्डरी / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
6	स्नातक / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
7	बीएसटीसी / बी.एड. / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
8	मूल निवास प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।	
9	जाति प्रमाण–पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की प्रमाणित प्रति। नोट :– अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए 6 माह से अधिक पुराना ना हो।	
10	शारीरिक विकलांगता प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रति) (Under Clasuse (1) of section 2 of the Persons with disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act. 1995)	
11	विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ–पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।	
12	तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति।	
13	अभ्यर्थी के वर्तमान में उपरोक्त शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने का प्रमाण–पत्र (संस्था प्रधान द्वारा जारी)	
14	अन्य	
	कुल संलग्नकों की संख्या	

शपथ–पत्र

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....उम्र.................. जाति.....................
..................निवासी...................................... व्यवसाय..शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि –

- मैंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 सपठित (29 जुलाई 2011) के संशोधित मापदण्डानुसार एवं विज्ञप्ति में दिये गये निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लिया है तथा मैं परीक्षा देने की न्यूनतम शैक्षिक एवं व्यवसायिक योग्यता की पात्रता रखता/रखती हूँ।
- मैं अध्यापक पात्रता परीक्षा 2013 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद् एतद् द्वारा इस अधिसूचना की तिथि से निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 2 के खण्ड (ढ) में सन्दर्भित स्कूलों में अध्यापक के रूप में न्यूनतम योग्यताऐं रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा भरे आवेदन–पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों में यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मैं न्यूनतम योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं या झूठा शपथ–पत्र दिया गया है तो परीक्षा उपरान्त मिलने वाला पात्रता प्रमाण–पत्र स्वतः ही रद्द समझा जावेगा तथा मैं राज्य सरकार द्वारा अध्यापक पद के लिये विज्ञापित किसी भी नियुक्ति के लिये अयोग्य माना जाऊँगा/मानी जाऊँगी।
- मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिये किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित नहीं किया गया है।
- किसी गलती या विवाद की स्थिति में, मैं अपना प्रतिवेदन समन्वयक आर.टी.ई.टी. 2013 को प्रस्तुत करूँगा/करूँगी। 60 दिन तक भी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने के बाद ही न्यायालय में न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूँगा/करूँगी।
- मेरे मूल दस्तावेजों का सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जावेगा। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।
- मैं इस तथ्य से भली–भाँति अवगत हूँ कि इस परीक्षा आर.टी.ई.टी. 2013 की परीक्षा उत्तीर्ण करना भर्ती के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड हैं इस परीक्षा में निर्धारित पात्रता प्राप्त होने से ही मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।

हस्ताक्षर
अभ्यर्थी का नाम : ....

सत्यापन

मैं... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....उम्र.................. जाति..............................
निवासी..................................... व्यवसाय... सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ–पत्र में अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है।

हस्ताक्षर
अभ्यर्थी का नाम : ....

नोटः– **मजिस्ट्रेट/नोटेरी/ओथ–कमीशनर/राजपत्रित अधिकारी**
(किसी से भी सत्यापित करायें)

अभ्यर्थियों के दिशा निर्देशों हेतु हैल्प–लाइन तथा ई–मेल की सुविधा :

अभ्यर्थी अपने आवेदन के विषय में किसी भी प्रकार के मार्ग दर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी कार्य दिवसों में 10 से 5 बजे के मध्य, कार्यालय समन्यक, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2013 पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क अथवा ई–मेल कर सकते हैं।

समन्वयक, RTET–2013